दीवानी विविध

माननीय न्यायमूर्ति मुनि लाल शर्मा के समक्ष

रजिंदर खानदपुर व अन्य – याचिकाकर्ता

बनाम

डायरेक्टर-प्रिंसिपल, मेडिकल कॉलेज, रोहतक व अन्य- उत्तरदाता

1975 की दीवानी रिट संख्या 1

23 अक्तूबर 1975

पंजाब विश्वविद्यालय कैलेंडर खंड II 1971-विनियम 12-एम.बी.बी.एस पाठ्यक्रम के छात्र द्वितीय व्यावसायिक परीक्षा के सभी विषयों में उत्तीर्ण होने में असफल रहे-क्या परीक्षा के बाद उच्च कक्षा में शामिल होने के हकदार हैं।

अभिनिर्धारित किया गया कि सामान्य नियम यह है कि कोई भी छात्र तब तक उच्च कक्षा में पदोन्नति का हकदार नहीं होता जब तक कि वह कनिष्ठ कक्षा उत्तीर्ण न कर ले। एम.बी.बी.एस कक्षा के छात्र उक्त नियम के अपवाद का दावा नहीं कर सकते जब तक कि उन्हें नियंत्रित करने वाले नियमों और विनियमों में अन्यथा प्रावधान न किया गया हो। पंजाब यूनिवर्सिटी कैलेंडर वॉल्यूम II 1971 का विनियमन 12, जो एम.बी.बी.एस. छात्रों को नियंत्रित करता है, प्रावधान करता है कि प्रथम व्यावसायिक वर्ग के छात्र, भले ही वे पहली बार दिसंबर में आयोजित वार्षिक परीक्षा में सभी विषयों में उत्तीर्ण होने में असफल हों, अगले अप्रैल माह तक उच्चतर कक्षा में भाग ले सकते हैं इस विनियम में प्रावधान यह है कि प्रथम व्यावसायिक कक्षा का छात्र भी, यदि वह उस कक्षा के लिए दिसंबर में आयोजित वार्षिक परीक्षा में सभी विषयों में उत्तीर्ण नहीं हो पाता है, तो वह द्वितीय व्यावसायिक कक्षा में पदोन्नति का हकदार नहीं है; उसे केवल रियायत के माध्यम से, अगले अप्रैल या उसके बाद के किसी भी महीने में होने वाली पूरक परीक्षा तक द्वितीय व्यावसायिक कक्षा में भाग लेने की अनुमति है, लेकिन यदि वह फिर से प्रथम व्यावसायिक कक्षा के सभी विषयों में उत्तीर्ण होने में विफल रहता है तो उक्त रियायत उसे उपलब्ध नहीं होगी और उसे वार्षिक परीक्षा में कनिष्ठ वर्ग के साथ उन विषयों में उपस्थित होना होगा जिनमें वह दिसंबर में आयोजित वार्षिक परीक्षा और या तो अप्रैल के महीने में, या उसके बाद के किसी अन्य महीने में आयोजित पूरक परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सका था। प्रथम व्यावसायिक कक्षा के लिए विनियम 12 में निहित ऐसा कोई प्रावधान, द्वितीय व्यावसायिक कक्षा के छात्र के लिए कैलेंडर में नहीं बनाया गया है। इसलिए, द्वितीय व्यावसायिक वर्ग के छात्र संभवतः किसी भी रियायत का दावा नहीं कर सकते हैं, विनियम 12 के अनुरूप अप्रैल के महीने में आयोजित द्वितीय व्यावसायिक परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल होने पर अंतिम व्यावसायिक वर्ग में पदोन्नति के अधिकार के बारे में क्या कहा जाए। एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम के छात्र जो द्वितीय व्यावसायिक परीक्षा के सभी विषयों में उत्तीर्ण नहीं हो पाते हैं, वे परीक्षा के बाद उच्च कक्षा में भाग लेने के हकदार नहीं हैं।

(पैरा 3 , 4)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका में प्रार्थना की गई है

(a) दिनांक 18 दिसंबर, 1974 (अनुलग्नक पी.1) के आक्षेपित आदेश को सर्टिओरीरी की प्रकृति में एक रिट द्वारा रद्द किया जाना चाहिए।

(b) याचिकाकर्ताओं को दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां (अनुलग्नक पी. 1 से पी. 4) दाखिल करने से छूट दी जानी चाहिए क्योंकि ये आसानी से उपलब्ध नहीं हो सकती हैं।

(c) मामले की तात्कालिकता को ध्यान में रखते हुए एकपक्षीय अंतरिम राहत के लिए प्रार्थना की जाती है, उत्तरदाताओं पर याचिका के प्रस्ताव की अग्रिम सूचना जारी करने और तामील करने की छूट दी जाए;

(d) विवादित आदेश के क्रियान्वयन पर एकपक्षीय रोक लगाई जाए और याचिकाकर्ताओं को रिट याचिका के परिणाम के अधीन अंतिम पेशेवर एमबीबीएस कक्षा (प्रवेश वर्ष 1971) में भाग लेने की अनुमति दी जाए।

(e) प्रतिवादी संख्या 1 को याचिकाकर्ताओं के लिए उन विषयों में विशेष कक्षाओं की व्यवस्था करने का निर्देश दिया जाए जिनमें उन्हें नियमों के अनुसार दूसरी व्यावसायिक परीक्षा में फिर से उपस्थित होना आवश्यक है।

जी सी गर्ग याचिकाकर्ता की तरफ़ से अधिवक्ता
सी डी दीवान अत्तिरिक्त एडवोकेट जनरल (हरियाणा) उत्तरदाता की तरफ़ से अधिवक्ता

निर्णय

माननीय न्यायमूर्ति एम ऐल वर्मा

1) इस रिट याचिका के साथ-साथ 1975 की रिट याचिका संख्या 2 को जन्म देने वाले भौतिक तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ताओं के साथ-साथ सर्वश्री अशोक शर्मा, छाजू राम और रमेश गुप्ता जो 1975 की रिट याचिका संख्या 2 में याचिकाकर्ता हैं (इसके बाद इन्हें कहा जाएगा) दूसरे याचिकाकर्ता) वर्ष 1971 में एमबीबीएस छात्रों के रूप में मेडिकल कॉलेज, रोहतक में शामिल हुए। उक्त कॉलेज तब पंजाब विश्वविद्यालय से संबद्ध था और उनके द्वारा शामिल की गई कक्षा को नियंत्रित करने वाले नियम पंजाब विश्वविद्यालय कैलेंडर 1971 में शामिल थे। कहा गया है कि विनियमों में, इंटर्नशिप सहित एमबीबीएस के लिए निर्देशों का पाठ्यक्रम साढ़े पांच साल की अवधि के लिए बढ़ाया गया है, और बैचलर ऑफ मेडिसिन और बैचलर ऑफ सर्जरी (एम.बी.बी.एस.) की डिग्री के लिए परीक्षा में तीन भाग शामिल हैं, अर्थात् .. पहला, दूसरा और अंतिम व्यावसायिक परीक्षाएँ। पहली व्यावसायिक परीक्षा (वार्षिक) दिसंबर, 1972 में आयोजित की गई थी, और याचिकाकर्ताओं के साथ-साथ दूसरे याचिकाकर्ताओं ने भी उक्त परीक्षा दी, लेकिन वे सभी पेपरों में सफल नहीं हो सके। हालाँकि, वे अगली उच्च कक्षा, यानी दूसरे प्रोफेशनल में भाग लेते रहे, जो जनवरी, 1973 से शुरू हुई। अप्रैल, 1973 में आयोजित पूरक परीक्षा में वे उन पेपरों में फिर से उपस्थित हुए, जिनमें वे पहले असफल हो गए थे, और सफल घोषित किए गए थे। इसलिए, उन्होंने द्वितीय व्यावसायिक कक्षा में भाग लेना जारी रखा और याचिकाकर्ता मई, 1974 में आयोजित द्वितीय व्यावसायिक परीक्षा (वार्षिक) में उपस्थित हुए। इस बार फिर वे सभी विषयों में उत्तीर्ण नहीं हो सके। हालाँकि, उन्होंने जुलाई, 1974 से शुरू होने वाली अगली उच्च कक्षा, यानी फाइनल प्रोफेशनल में भाग लिया। वे सितंबर, 1974 में दूसरी व्यावसायिक परीक्षा (पूरक) में फिर से उपस्थित हुए, लेकिन सभी विषयों में उत्तीर्ण होने में सफल नहीं हो सके। दूसरे याचिकाकर्ता कुछ विषयों में व्याख्यान की कमी के कारण द्वितीय व्यावसायिक परीक्षा (वार्षिक) में उपस्थित नहीं हो सके। इसलिए, वे सितंबर, 1974 में आयोजित दूसरी व्यावसायिक परीक्षा (पूरक) में उपस्थित हुए, लेकिन वे सभी विषयों में उत्तीर्ण नहीं हो सके। हालाँकि, वे उच्च वर्ग, यानी फ़ाइनल प्रोफेशनल में शामिल हो गए थे; अक्टूबर, 1974. 18 दिसंबर, 1974 को निदेशक-प्रिंसिपल (प्रतिवादी संख्या 1) ने आदेश पारित किया (अनुलग्नक 'पी-1' की प्रतिलिपि बनाएँ और 1975 के सिविल रिट 2 में 'पी-2' अंकित करें, जिसे इसके बाद

आक्षेपित आदेश कहा जाएगा)), याचिकाकर्ताओं और दूसरे याचिकाकर्ताओं को इस आधार पर द्वितीय व्यावसायिक एम.बी.बी.एस कक्षा में भाग लेने का निर्देश दिया गया कि वे सितंबर, 1974 में आयोजित द्वितीय व्यावसायिक परीक्षा (पूरक) में सभी विषयों में उत्तीर्ण होने में असफल रहे थे। उक्त आदेश को इस पर प्रदर्शित किया गया था। 19 दिसंबर, 1974 को नोटिस बोर्ड। याचिकाकर्ताओं और दूसरे याचिकाकर्ताओं ने उक्त आदेश को कनिष्ठ वर्ग में उनकी पदावनति के रूप में लिया। इसलिए, उन्होंने निदेशक-प्रिंसिपल और कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति से भी संपर्क किया, जिससे उस समय तक मेडिकल कॉलेज संबद्ध हो चुका था। उन्होंने निदेशक-प्रिंसिपल को एक नोटिस भी दिया जिसमें उनसे उपरोक्त आदेश वापस लेने का अनुरोध किया गया। जब उन्हें कोई अनुकूल प्रतिक्रिया नहीं मिली, तो उन्होंने ऊपर उल्लिखित रिट याचिकाएं दायर कीं, जिसमें निम्नलिखित आधारों पर विवादित आदेश की वैधता को चुनौती दी गई:
(i) कि एम.बी.बी.एस पाठ्यक्रम को एकीकृत किया गया था जिसमें तीन भाग शामिल थे, अर्थात प्रथम, द्वितीय और अंतिम व्यावसायिक परीक्षाएं, जो अंतराल पर आयोजित की जाएंगी;
(ii) उन्हें नियंत्रित करने वाले पंजाब विश्वविद्यालय कैलेंडर 1971 में अंतिम व्यावसायिक वर्ग में उनकी पदोन्नति पर रोक लगाने का कोई प्रावधान नहीं था, भले ही वे द्वितीय व्यावसायिक परीक्षा के सभी विषयों में उत्तीर्ण होने में असफल रहे हों;
(iii) कि जब उन्हें पहले ही अंतिम व्यावसायिक वर्ग में पदोन्नत किया जा चुका था, तो उन्हें दूसरे व्यावसायिक वर्ग में पदावनत नहीं किया जा सकता था;
(iv) पहले, जो छात्र द्वितीय व्यावसायिक परीक्षा के सभी विषयों में उत्तीर्ण नहीं हो पाए थे, उन्हें अंतिम व्यावसायिक कक्षा में जारी रखने की अनुमति दी गई थी और उन्हें अंतिम व्यावसायिक परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति दी गई थी, और
(v) कि यह (आक्षेपित आदेश) तर्कसंगत नहीं था। इसलिए, विवादित आदेश को रद्द करने के लिए सर्टिओरारी रिट की प्रार्थना की गई थी।

2) निदेशक-प्रिंसिपल (प्रतिवादी संख्या 1) की ओर से जो रिटर्न दाखिल किया गया था, उसमें व्यापक तथ्यों को स्वीकार किया गया था। हालाँकि, विवादित आदेश की वैधता का बचाव किया गया और रिट याचिकाओं का इस दलील के साथ विरोध किया गया कि याचिकाकर्ताओं या दूसरे याचिकाकर्ताओं को कभी भी अंतिम व्यावसायिक वर्ग में पदोन्नत नहीं किया गया था; और पंजाब विश्वविद्यालय कैलेंडर 1971 (इसके बाद इसे कैलेंडर के रूप में संदर्भित किया जाएगा) में निहित विनियमों द्वारा किसी ऐसे छात्र को, जो द्वितीय व्यावसायिक परीक्षा के सभी विषयों में उत्तीर्ण नहीं हुआ था, अंतिम व्यावसायिक कक्षा में ऐसी कोई पदोन्नति नहीं दी गई थी या अनुमति नहीं दी गई थी; और यह अनियमित और अवैध अभ्यास के कारण था कि जो छात्र द्वितीय व्यावसायिक परीक्षा के सभी विषयों में उत्तीर्ण नहीं हुए थे, उन्हें अतीत में अंतिम व्यावसायिक कक्षा में शामिल होने की अनुमति दी गई थी; और यह उक्त अनियमित और अवैध अभ्यास के कारण था कि याचिकाकर्ताओं और दूसरे याचिकाकर्ताओं को अंतिम व्यावसायिक कक्षा में भाग लेने की अनुमति दी गई थी, और उक्त अनुमति वापस ले ली गई थी क्योंकि यह नियमों या विनियमों द्वारा आवश्यक नहीं थी; और उक्त अनुमति को वापस लेना याचिकाकर्ताओं या दूसरे याचिकाकर्ताओं को दूसरे व्यावसायिक कक्षा में पदावनत करने के समान नहीं है।

3) याचिकाकर्ताओं और दूसरे याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित श्री जी.सी. गर्ग द्वारा उठाए गए प्रमुख तर्क तीन हैं। पहला, कि उनके द्वारा शामिल किए गए एम.बी.बी.एस पाठ्यक्रम को तीन परीक्षाओं तक विस्तारित किया गया था, पहला, दूसरा और अंतिम व्यावसायिक, जो आयोजित किया जाना था अंतराल और, इस प्रकार, वे उस कक्षा की वार्षिक परीक्षा के बाद उच्च कक्षा में शामिल होने के हकदार थे, जिसमें उन्होंने शैक्षणिक वर्ष के दौरान भाग लिया था, भले ही वे उस

परीक्षा के सभी विषयों में असफल रहे हों। दूसरा, कि एक बार उन्हें अनुमति दी गई थी अंतिम व्यावसायिक कक्षा में भाग लें, हालाँकि वे द्वितीय व्यावसायिक परीक्षा के सभी विषयों में उत्तीर्ण नहीं हो पाए थे, उन्हें पदावनत नहीं किया जा सकता था, या उन्हें द्वितीय व्यावसायिक कक्षा में भाग लेने के लिए नहीं कहा जा सकता था, जो एमबीबीएस पाठ्यक्रम में शामिल होने वाले छात्रों के बैच से संबंधित थी। एक साल बाद, यानी 1972 में; और तीसरा, अतीत में जिन छात्रों ने द्वितीय व्यावसायिक परीक्षा के सभी विषयों में उत्तीर्ण नहीं किया था, उन्हें अंतिम व्यावसायिक कक्षा में भाग लेने की अनुमति दी जा रही थी और इसलिए, भाग लेने की अनुमति वापस ले ली गई और रोक दी गई उनसे अंतिम व्यावसायिक वर्ग ने असमानता और भेदभाव को जन्म दिया। मेरी राय में, इनमें से कोई भी विवाद उचित नहीं है। सामान्य नियम, और न्यायसंगत भी, यह प्रतीत होता है कि कोई भी छात्र तब तक उच्च कक्षा में पदोन्नति का हकदार नहीं है जब तक कि वह कनिष्ठ कक्षा उत्तीर्ण न कर ले। एम.बी.बी.एस. के छात्र। वर्ग उक्त नियम के अपवाद का दावा नहीं कर सकता जब तक कि उन्हें नियंत्रित करने वाले नियमों और विनियमों में अन्यथा प्रावधान न किया गया हो। कैलेंडर के चिकित्सा विज्ञान संकाय के विनियमन संख्या 12 (बाद में विनियमन संख्या 12 के रूप में संदर्भित) जो याचिकाकर्ताओं और दूसरे याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील द्वारा दिए गए तर्कों का मुख्य आधार है:

“एक उम्मीदवार को अगली उच्च कक्षा में तब तक पदोन्नत नहीं किया जाएगा जब तक कि उसने प्रथम व्यावसायिक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर ली हो। हालाँकि, पहली बार दिसंबर की परीक्षा में असफल होने वाले उम्मीदवारों को अगले अप्रैल तक अगली उच्च कक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जा सकती है। यह रियायत अप्रैल या उसके बाद की किसी परीक्षा में असफल होने वाले उम्मीदवारों को नहीं दी जाएगी”

इसलिए, यह विनियमन उक्त नियम को केवल एक अपवाद प्रदान करता है, और वह यह है कि प्रथम व्यावसायिक कक्षा के छात्र, भले ही वे पहली बार दिसंबर में आयोजित वार्षिक परीक्षा में असफल हो जाएं, तब तक उच्च कक्षा में भाग ले सकते हैं। अगला अप्रैल महीना. विनियम संख्या 12 में प्रावधान है कि यदि प्रथम व्यावसायिक कक्षा का कोई छात्र दिसंबर में होने वाली वार्षिक परीक्षा में पहली बार असफल हो जाता है, तो उसे अगले अप्रैल तक द्वितीय व्यावसायिक कक्षा में भाग लेने की अनुमति दी जा सकती है; और यह एक प्रकार की रियायत होगी जो उसे उपलब्ध नहीं होगी यदि वह अप्रैल में होने वाली पूरक परीक्षा में, या प्रथम व्यावसायिक परीक्षा के विषय (विषयों) में बाद में आयोजित होने वाली किसी अन्य ऐसी परीक्षा में फिर से असफल हो जाता है। . उपरोक्त विनियम का पहला वाक्य ऊपर बताए गए सामान्य नियम के अनुरूप है, और स्पष्ट रूप से प्रदान करता है कि प्रथम व्यावसायिक वर्ग के छात्र को द्वितीय व्यावसायिक वर्ग में तब तक पदोन्नत नहीं किया जाएगा जब तक कि वह प्रथम व्यावसायिक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर लेता। यह स्पष्ट रूप से निर्देश देता है कि द्वितीय व्यावसायिक वर्ग में पदोन्नति का दावा प्रथम व्यावसायिक वर्ग का छात्र तभी कर सकता है जब वह प्रथम व्यावसायिक परीक्षा उत्तीर्ण कर ले। हालाँकि, विनियमन संख्या 12 का दूसरा वाक्य यह प्रावधान करता है कि दिसंबर में आयोजित वार्षिक परीक्षा में पहली बार असफल होने वाले प्रथम व्यावसायिक वर्ग के छात्र को द्वितीय व्यावसायिक कक्षा में भाग लेने की अनुमति दी जा सकती है। वह महज एक रियायत है और वह भी अनर्गल नहीं है. यह उन्हें केवल अप्रैल महीने तक उपलब्ध है जब प्रथम व्यावसायिक परीक्षा (पूरक) आयोजित की जाती है। यदि वह अप्रैल में या उसके बाद के किसी भी महीने में आयोजित उक्त प्रथम व्यावसायिक परीक्षा (पूरक) में सभी विषयों में फिर से उत्तीर्ण होने में विफल रहता है, तो उक्त रियायत समाप्त हो जाएगी और वह अब उसके लिए उपलब्ध नहीं होगी, और उसे ऐसा करना होगा। प्रथम व्यावसायिक कक्षा पर वापस जाएँ। उपरोक्त विनियम के अंतिम वाक्य

से यही स्पष्ट होता है। इसलिए, विनियम संख्या 12 का उचित विश्लेषण स्पष्ट रूप से बताता है कि प्रथम व्यावसायिक वर्ग का एक छात्र भी यदि उस कक्षा के लिए दिसंबर में आयोजित वार्षिक परीक्षा में सभी विषयों में उत्तीर्ण होने में विफल रहता है, तो वह द्वितीय व्यावसायिक में पदोन्नति का हकदार नहीं है। कक्षा; उसे केवल रियायत के माध्यम से, अगले अप्रैल में या उसके बाद के किसी भी महीने में होने वाली पूरक परीक्षा तक द्वितीय व्यावसायिक कक्षा में भाग लेने की अनुमति है, लेकिन यदि वह फिर से प्रथम व्यावसायिक कक्षा के सभी विषयों में उत्तीर्ण होने में विफल रहता है पूरक परीक्षा में, उक्त रियायत उसे उपलब्ध नहीं होगी और उसे उन विषयों में वार्षिक परीक्षा में कनिष्ठ वर्ग के साथ उपस्थित होना होगा जिन्हें वह दिसंबर में आयोजित वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं कर सका, और पूरक में भी परीक्षा या तो अप्रैल महीने में या उसके बाद किसी अन्य महीने में आयोजित की जाएगी। प्रथम व्यावसायिक वर्ग के लिए विनियम संख्या 12 में निहित ऐसा कोई प्रावधान, द्वितीय व्यावसायिक वर्ग के छात्र के लिए कैलेंडर में नहीं किया गया है। इसलिए, याचिकाकर्ता जो द्वितीय व्यावसायिक वर्ग के छात्र थे, संभवतः किसी भी रियायत का दावा नहीं कर सकते थे, अप्रैल के महीने में आयोजित द्वितीय व्यावसायिक परीक्षा (वार्षिक) में उत्तीर्ण होने में असफल होने पर, अंतिम व्यावसायिक वर्ग में पदोन्नति के अधिकार के बारे में क्या कहा जाए। 1974, विनियमन संख्या 12 के अनुरूप, जैसा कि ऊपर बताया गया है, केवल प्रथम व्यावसायिक वर्ग के छात्रों के लाभ के लिए था। यह ध्यान रखना उचित है कि याचिकाकर्ताओं के साथ-साथ दूसरे याचिकाकर्ता भी सितंबर, 1974 में आयोजित द्वितीय व्यावसायिक परीक्षा (पूरक) में भी सभी विषयों में उत्तीर्ण नहीं हो सके। दूसरे याचिकाकर्ता द्वितीय व्यावसायिक परीक्षा में उपस्थित नहीं हो सके। वार्षिक) व्याख्याताओं की कमी के कारण मई 1974 में आयोजित किया गया। इसलिए, भले ही यह दावा किया गया हो, हालांकि विनियम 12 की समानता पर दूर से ही तर्क के लिए स्वीकार नहीं किया गया और स्वीकार किया गया, वे (याचिकाकर्ता) सितंबर, 1974 के बाद अंतिम कक्षा में भाग लेने के लिए उक्त रियायत के हकदार नहीं थे क्योंकि उनके पास था अप्रैल, 1974 में आयोजित परीक्षा (वार्षिक) के साथ-साथ सितंबर 1974 में आयोजित पूरक परीक्षा में सभी विषयों में उत्तीर्ण होने में असफल रहे, और दूसरे याचिकाकर्ता मई, 1974 में आयोजित द्वितीय व्यावसायिक कक्षा (वार्षिक) में भाग नहीं ले सके। और वे भी 1974 में आयोजित पूरक परीक्षा में सभी विषयों में उत्तीर्ण होने में असफल रहे। इस प्रकार, यह पता चलता है कि मामले को किसी भी कोण से देखा जा सकता है, न तो याचिकाकर्ता और न ही दूसरे याचिकाकर्ता पदोन्नति के किसी भी अधिकार के हकदार थे, न ही यहां तक कि प्रथम व्यावसायिक कक्षा में भाग लेने की रियायत भी दी गई क्योंकि वे द्वितीय व्यावसायिक परीक्षा के सभी विषयों में उत्तीर्ण नहीं हो सके और इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं और दूसरे याचिकाकर्ताओं की ओर से उठाया गया पहला तर्क किसी भी बल से रहित है।

(5) जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, याचिकाकर्ताओं और दूसरे याचिकाकर्ताओं सहित प्रथम व्यावसायिक वर्ग के छात्र, जो दिसंबर, 1972 में आयोजित प्रथम व्यावसायिक परीक्षा (वार्षिक) में असफल हो गए थे, उन्हें कभी भी द्वितीय व्यावसायिक वर्ग में पदोन्नत नहीं किया गया था। यह विनियम संख्या 12 के तहत था कि उन्हें अप्रैल, 1973 तक द्वितीय व्यावसायिक कक्षा में भाग लेने के लिए रियायत के माध्यम से अनुमति दी गई थी, और यह उच्च कक्षा में पदोन्नति के बराबर नहीं है। द्वितीय व्यावसायिक वर्ग के छात्रों को ऐसा कोई लाभ प्रदान करने वाले विनियम संख्या 12 के समान किसी प्रावधान के अभाव में, उन याचिकाकर्ताओं को अनुमति दी गई जो अप्रैल 1974 में आयोजित द्वितीय व्यावसायिक परीक्षा (वार्षिक) में उत्तीर्ण होने में असफल रहे थे, और फिर सितंबर 1974 में आयोजित पूरक परीक्षा में उस कक्षा के सभी विषयों में उत्तीर्ण नहीं हो सके, या दूसरे याचिकाकर्ताओं को अनुमति दी गई जो मई 1974 में आयोजित उपरोक्त वार्षिक परीक्षा में उपस्थित नहीं हुए और सभी विषयों में उत्तीर्ण होने में असफल रहे। अंतिम व्यावसायिक

कक्षा में भाग लेने के लिए सितंबर 1974 में आयोजित दूसरी व्यावसायिक परीक्षा (पूरक) गलत और अवैध थी, इस स्पष्ट कारण के लिए कि यह कैलेंडर में निहित किसी भी नियम या विनियम द्वारा उचित या अनुमत नहीं थी। इस प्रकार, अतीत में द्वितीय व्यावसायिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण छात्रों को अंतिम व्यावसायिक कक्षा में भाग लेने की अनुमति देने की प्रथा अनियमित और अवैध थी। जब यह मामला प्रकाश में आया, तो इसे कायम रखने के बजाय इसमें सुधार किया जाना था और ऐसा प्रतीत होता है कि निदेशक-प्रिंसिपल (प्रतिवादी नंबर 1) द्वारा विवादित आदेश पारित करके ऐसा किया गया है। मामले को देखते हुए, याचिकाकर्ताओं या दूसरे याचिकाकर्ताओं द्वारा यह दावा नहीं किया जा सकता है कि उन्हें कभी भी अंतिम व्यावसायिक वर्ग में पदोन्नत किया गया था। जब उन्हें कभी भी उक्त वर्ग में पदोन्नत नहीं किया गया तो उन्हें उस वर्ग से पदावनत करने का प्रश्न ही नहीं उठता। इस प्रकार, अंतिम व्यावसायिक वर्ग से दूसरे व्यावसायिक वर्ग में उनकी पदावनति का निर्देश देने वाले आक्षेपित आदेश की निंदा नहीं की जा सकती। लाभ, यदि याचिकाकर्ताओं और दूसरे याचिकाकर्ताओं जैसे किसी भी छात्र द्वारा अतीत में अनियमित और अवैध अभ्यास के कारण प्राप्त किया गया हो, तो, मेरी राय में, याचिकाकर्ताओं या दूसरे याचिकाकर्ताओं को पदोन्नति या इस तरह का कोई अधिकार नहीं मिल सकता है। याचिकाकर्ताओं को द्वितीय व्यावसायिक कक्षा उत्तीर्ण किए बिना अंतिम व्यावसायिक कक्षा में भाग लेना होगा। इसलिए, याचिकाकर्ताओं और दूसरे याचिकाकर्ताओं की ओर से उठाया गया न तो दूसरा विवाद और न ही तीसरा, तर्कसंगत है।

(6) आक्षेपित आदेश में याचिकाकर्ताओं और दूसरे याचिकाकर्ताओं के नामों का उल्लेख है, और उन्हें द्वितीय व्यावसायिक कक्षा में भाग लेने का निर्देश दिया गया है और आगे कहा गया है कि उक्त निर्देश सितंबर 1974 में आयोजित द्वितीय व्यावसायिक परीक्षा (पूरक) उत्तीर्ण करने में उनकी विफलता पर आधारित था। इसलिए , आक्षेपित आदेश अच्छी तरह से जानकारीपूर्ण है, और इसमें कोई कमी या अस्पष्टता नहीं है। ऐसे में इसे अनुचित आदेश कहकर इसकी आलोचना करने का कोई औचित्य नहीं है।

(7) अंत में, श्री गर्ग ने प्रस्तुत किया कि श्री राजिंदर खंडपुर (याचिकाकर्ता संख्या 1) और दूसरे याचिकाकर्ताओं में से श्री छाजू राम को छोड़कर सभी याचिकाकर्ताओं ने मई, 1975 में आयोजित द्वितीय व्यावसायिक परीक्षा के सभी विषयों में उत्तीर्ण किया था। रिट याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान; और, कैलेंडर के चिकित्सा विज्ञान संकाय के विनियम संख्या 20 और 21 पर भरोसा करते हुए आग्रह किया कि उन्हें अप्रैल 1976 में होने वाली अंतिम व्यावसायिक परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति दी जानी चाहिए। उक्त विवाद स्पष्ट रूप से दायरे से परे है। रिट याचिकाएँ. रिट याचिकाओं में हमले का विषय आक्षेपित आदेश और यह प्रश्न था कि क्या दूसरे याचिकाकर्ताओं में से श्री राजिंदर खंडपुर या श्री छाजू राम के अलावा अन्य याचिकाकर्ता अप्रैल 1976 में होने वाली अंतिम व्यावसायिक परीक्षा में उपस्थित होने के हकदार हैं। क्योंकि वे मई 1974 में आयोजित द्वितीय व्यावसायिक परीक्षा में सभी विषयों में उपस्थित हुए थे, इसलिए उस मामले के संबंध में किसी उत्तर की आवश्यकता नहीं है जो रिट याचिकाओं में विवाद का विषय था। किसी भी तरह, उपरोक्त विनियमों की जांच केवल इसलिए की जाती है क्योंकि उनमें निहित प्रावधानों से सांत्वना मांगी गई थी। विनियम संख्या 20 विश्वविद्यालय को केवल वार्षिक द्वितीय व्यावसायिक परीक्षा के पूरा होने के कम से कम सोलह महीने बाद, या सिंडिकेट द्वारा तय की गई ऐसी अन्य तिथियों पर, दिसंबर और अप्रैल के महीनों में वर्ष में दो बार अंतिम व्यावसायिक परीक्षा आयोजित करने का निर्देश देता है। . इसलिए, इसका कोई फायदा नहीं है और इससे याचिकाकर्ताओं या श्री छाजू राम को कोई लाभ नहीं होगा, जिन्होंने मई 1975 में आयोजित दूसरी व्यावसायिक परीक्षा उत्तीर्ण की थी। विनियम संख्या 21 में प्रदान की गई दो शर्तों को एक छात्र

द्वारा पूरा किया जाना आवश्यक है। अंतिम व्यावसायिक परीक्षा दे रहे हैं (i) कि उसे उक्त परीक्षा से पहले वर्ष के दौरान नामांकित किया गया है; और (ii) कि उसने कम से कम ग्यारह महीने पहले दूसरी व्यावसायिक परीक्षा उत्तीर्ण की हो। मेरे स्पष्ट रूप से और बार-बार पूछने के बावजूद, दोनों पक्षों के लिए उपस्थित विद्वान वकील उस अवधि के बारे में कोई जानकारी देने में असमर्थ रहे, जो विनियमन संख्या 21 के खंड (i) में उल्लिखित 'वर्ष' होगी। क्या इसका मतलब बारह महीने है? सोलह महीने या ग्यारह महीने? दोनों विद्वान अधिवक्ताओं ने उस मामले पर प्रकाश डालने में असमर्थता जताई। इसलिए, इस स्तर पर उक्त प्रश्न का उत्तर सटीकता के साथ तो बिल्कुल भी नहीं दिया जा सकता। किसी भी तरह, चूंकि ऐसा प्रतीत होता है कि दूसरे याचिकाकर्ताओं में से श्री राजिंदर खंडपुर और श्री छाजू राम के अलावा अन्य याचिकाकर्ता विनियमन संख्या 21 के खंड (ii) में प्रदान की गई दूसरी शर्त को पूरा कर रहे होंगे, जिसके लिए उन्हें दूसरी व्यावसायिक परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। अप्रैल 1976 में आयोजित होने वाली अंतिम व्यावसायिक परीक्षा देने से कम से कम ग्यारह महीने पहले, निदेशक-प्रिंसिपल (प्रतिवादी नंबर 1) उनके मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए पर्याप्त हो सकते हैं, अगर मैं अनुकूल रूप से कह सकता हूं ताकि उन्हें लाभ मिल सके। अप्रैल 1976 में आयोजित होने वाली उक्त अंतिम व्यावसायिक परीक्षा में शामिल होने के लिए, बशर्ते कि ऐसा करने पर कोई अवैधता या नियमों और विनियमों का उल्लंघन न हो, ताकि वे अपने शैक्षणिक करियर के कुछ महीने, शायद आठ महीने, बचाने का लाभ उठा सकें। मैं उक्त मामले को निदेशक-प्रिंसिपल की अच्छी समझ और विवेक पर छोड़ता हूं।

(8) कहीं कोई गलतफहमी न हो, मैं यह स्पष्ट कर देता हूं कि जो कुछ भी ऊपर कहा गया है, उसे राजिंदर खंडपुर (याचिकाकर्ता नंबर 1) और छज्जू राम को छोड़कर अन्य याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए दावे के गुण-दोष पर मेरे विचारों की अभिव्यक्ति के रूप में नहीं लिया जाएगा। दूसरे याचिकाकर्ताओं को अप्रैल 1976 के महीने में आयोजित होने वाली अंतिम व्यावसायिक परीक्षा में उपस्थित होने के लिए इस आधार पर आवेदन दिया गया था कि उन्होंने मई 1975 के महीने में आयोजित दूसरी व्यावसायिक परीक्षा के सभी विषयों में उत्तीर्ण किया था।

(9) इस प्रकार, ऊपर की चर्चा से यह पता चलता है कि विवादित आदेश किसी भी अनुचितता से ग्रस्त नहीं है, और इसने याचिकाकर्ताओं या दूसरे याचिकाकर्ताओं के किसी भी अधिकार का उल्लंघन नहीं किया है, कानूनी तो क्या, और इसलिए, मैं निःसंकोच पाता हूं कि दोनों याचिकाएं किसी भी योग्यता से रहित हैं।

(10) उपरोक्त कारणों से, मैं इस रिट याचिका के साथ-साथ 1975 की रिट याचिका संख्या 2 को भी खारिज करता हूं। मामले की विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, विशेष रूप से यह कि अतीत में प्राप्त गलत प्रथा याचिकाकर्ताओं और दूसरे याचिकाकर्ताओं को आक्षेपित आदेश के विरुद्ध रिट याचिकाएँ दायर करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती थी। मैं पार्टियों को अपनी लागत स्वयं वहन करने के लिए बाध्य करता हूँ।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

वीरेंद्र कुमार
प्रीक्षिशु न्यायिक अधिकारी
चंडीगढ़